न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 06/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/14

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोहनलाल पुत्र आसुराम जाति माली, निवासी सूर्यनगर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. हंसराज पुत्र नेनाराम जाति सीरवी निवासी सूर्यनगर तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी केयर ऑफ प्राईम वाथ वर्ल्ड 177/1 फर्स्ट फ्लोर एस.पी.रोड बैगलूरू 560002 (कर्नाटक) 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत चवाडिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन 3. मोहिनी देवी पत्नी रूपाराम जाति चौधरी निवासी बेरा साकडाई, सूर्य नगर, मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा, तरूण उपाध्याय।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आशिया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 16/06/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.02.2017 की पालना में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 16.03.2017 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लिखित बहस पेश किये जाने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का ग्राम सूर्यनगर में रहवासीय मकान आया हुआ है, जिसमें वह अपने पूर्वजों के समय से निवासरत है। उक्त मकान के सामने प्रार्थी का पट्टाशुदा, कब्जाशुदा, आधिपत्यशुदा, उपयोग, उपभोग का नोहर आया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में बेरा वेदाली का जाव, उत्तर दिशा में भंवरीदेवी का नोहरा, दक्षिण दिशा में गवाई नाड़ी स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 7449 व मिसल संख्या 02/2009 है। उक्त नोहरे के उत्तर दिशा प्रार्थी का कब्जासुदा, उपयोग सुदा नोहरा स्थित था, जिसको प्रार्थी ने ग्राम

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

पंचायत चवाड़िया के तत्कालीन सरपंच व ग्रामहित में सुपूर्द किया था जिसका एक लिखत भी दिनांक 11.03.2019 सरपंच व गांव के मौजीज लोगों ने प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की उसके उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 2 ने जैर निगरानी का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। प्रश्नगत पट्टे की मिसल की सम्पूर्ण आदेशिका एक ही दिन में लिखी गयी। ग्राम पंचायत ने बिना कोई मिसल कायम किये अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में 7800 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। वर्तमान में मौके पर भूखण्ड खाली है, कोई निर्माण कार्य नहीं होने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियम 157 के तहत जारी किया। प्रार्थी को जानकारी होने पर ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रति मांगी परन्तु दिनांक 15.01.2024 को नकल देने से इंकार किये जाने पर दिनांक 30.01.2024 को जैर निगरानी याचिका पेश की गयी। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के भाई नेमाराम ने जारी किया, जो कि ग्राम पंचायत में सरपंच है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता ने जैर निगरानी मिथ्या व झूठे आधारों के साथ जानकारी के पश्चात् पूर्ण विलम्ब से पेश की है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 7449 वर्ष 2009 में जारी किया गया है, जिसके पडोस में मोहनी देवी का नाम अंकित है एव उत्तर दिशा में स्व. नेनाराम के संयुक्त परिवार के पारिवारीक सदस्यों का आबादी भूमि में पैतृक आवासीय मकान स्थित है, जिसका हक हिस्सा परिवार के सदस्यों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियत करने से उनके पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जैर आराजी के सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में वाद संख्या 07/2023 व विविध प्रकरण संख्या 07/2023 बअनवान मोहनलाल बनाम मोहनी विचाराधीन था, जिसमें प्रार्थी को यह सम्पूर्ण जानकारी थी कि पट्टाधारक ने जैर आराजी का बेचाण अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया, उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने गलत तथ्यों के साथ निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा कम शुल्क में अधिक भू भाग का जारी कर दिया है तो ग्राम पंचायत किसी भी समय पट्टाधारक से बाजारू दर अनुसार शेष राशि वसूल कर सकती है तथा अप्रार्थी ने अपने पक्ष में जारी पट्टे में राजस्व शुल्क की कमी न्यायालय के आदेश अनुसार पूर्ण कर दी है। प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के केवल मात्र अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से जैर निगरानी पेश की है, जिसे खारिज फरमावे। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2022(3) CJ(Civ.)(Raj.) 1682 Geegraj vs Nagarmal & Ors., 2019(3) CJ(Civ.)(Raj.) 1630 Managing Direstor (Discom) Jodhpur Vidhyut Vitran Nigam Ltd. Jodhpur & Anr. vs Mishri Devi & Ors., 2022(1) CJ(Civ.)(Raj.)314 State of Rajasthan & Ors. vs Raivndra Singh Chandrawat पेश कर जैर निगरानी याचिका को खारिज करने का निवेदन किया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी चवाड़िया द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.02.2017 की पालना में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 16.03.2017 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी दिनांक 15.05.2023 को ही हो गयी थी, उसके उपरान्त प्रार्थी ने लगभग 8 माह देरीना जैर निगरानी प्रस्तुत की एवं उक्त देरीना के भी कोई उपर्युक्त कारण नहीं बताये इसलिये जैर निगरानी म्याद बाहर होने से खारिज फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में उज्र किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर ग्राम पंचायत से प्रमाणित प्रति मांगी परन्तु दिनांक 15.01.2024 को नकल देने से इंकार किये जाने पर दिनांक 30.01.2024 को जैर निगरानी याचिका पेश की गयी। म्याद किसी भी प्रकरण का एक तकनीकी बिन्दु है हालांकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RLW 2000(2) Raj. 911 Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे हस्तगत प्रकरण पर म्याद के बिन्दु पर चस्पा नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि 8 माह के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह था कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 7800 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है न कि किसी व्यक्ति के पक्ष में बहुत बड़ी भूमि का पट्टा जारी करने का। यदि इस प्रकार 7800 वर्गफीट अर्थात् लगभग आधा बीघा भूमि का पट्टा एक व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है तो यह इस अधिनियम के मूल उद्देश्य का दुरूपयोग होगा, इसलिये न्यायालय के मत अनुसार पट्टा 7800 वर्गफीट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निश्चित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ (Raj.) 668 Jabbar Singh Rajput vs State of Rajasthan Thro' Secretary Department of Panchayati Raj, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 97– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996–नियम 157–पुराने मकानों के लिये पट्टा का जारी करना–प्रश्नगत भूखण्ड खुले भूखण्ड थे और निर्माण मौजूद नहीं था–याचीगण के पक्ष में जारी किये पट्टों को कलेक्टर द्वारा निरस्त किये गये–भूखण्ड 300 वर्गगज से अधिक था और सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की–प्रार्थना पत्र में निर्मित मकान की मौजूदगी का उल्लेख नहीं किया–मौका रिपोर्ट में पुराने निर्मित मकान का मौजूद होना नहीं दर्शाया–पुराने निर्मित मकान के तथ्य का निर्धारण नहीं किया–खुले भूखण्डों का नियमितीकरण अनुज्ञेय नहीं है–पट्टा जारी करने के लिये प्रारम्भ की गयी कार्यवाही प्रत्यक्षतः अवैध बिना क्षेत्राधिकारिता के है–निर्णीत, निगरानी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न तो अवैध है न प्रतिकूल व यथावत रखा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।" इसी प्रकार 2017(2) DNJ (Raj.) 730 Mangilal Meghwal vs State of Rajasthan Thro' District Collector, Pali & Ors अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97, 156, 157– जिला कलक्टर ने पट्टा रद्द किया–10,800 वर्गफीट माप के भूखण्ड का पट्टा जारी किया–आपसी बातचीत से भूमि का अन्तरण–दर्शाने हेतु रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं कि आपसी बातचीत द्वारा भूमि के विक्रय हेतु कभी कोई कार्यवाही की–कुछ भी खुलासा नहीं किया कि कब से याची विवादित भूमि के आधिपत्य में है–दीर्घ आधिपत्य साबित करने हेतु सामग्री नहीं–याची के पक्ष में पट्टा जारी करने का पंचायत ने सीधे ही निर्णय लिया–प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया–10,800 वर्गफीट की बडी भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

रूपये 200/– के छोटे से मूल्य पर अन्तरित की–सार्वजनिक भूमि हडपने का मामला–भूखण्ड पर पुराने मकान के अस्तित्व में होने की साक्ष्य नहीं–निर्णीत।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी था कि जैर निगरानी आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं है अर्थात् खाली भूखण्ड का हस्तगत पट्टा जारी कर दिया, इसकी ताईद में उन्होनें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किये गये बेचाण का जिक्र किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि जैर आराजी पर स्व. नेनाराम के संयुक्त परिवार के पारिवारिक सदस्यों का आबादी भूमि में पैतृक आवासीय मकान स्थित है, जिसका हक हिस्सा परिवार के सदस्यों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियत करने से उनके पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु अधिवक्ता अप्रार्थी ने केवल लिखित कथन किये, उनकी ताईद में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में किये गये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 04.01.2023 के अनुसार बेचाणनामा आवासीय भूखण्ड का किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में अंकितानुसार जैर आराजी पर निर्मित मकान का मालिकाना हक मोहनलाल को दे दिया है। साथ ही जैर निगरानी मिसल के संलग्न बयान में अंकितानुसार जैर आराजी पर मकान निर्मित है, जो उनके पूर्वजों का है एवं अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में भी मकान अंकित है। लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जैर आराजी पर पुराना मकान निर्मित नहीं हो। इसलिये उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का उक्त कथन साबित नहीं होने के दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस यह भी उज्र किया कि अप्रार्थी संख्या 1 का भाई नेमाराम ग्राम पंचायत में तत्समय सरपंच पद पर निर्वाचित था तथा उन्होनें अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया। इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने ग्राम पंचायत चवाडिया के सरपंच कार्यकाल की सूची की फोटोप्रति एवं ग्राम सुर्यनगर के खसरा संख्या 237 की जमाबन्दी पेश की। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी हंसराज एवं नेमाराम भाई है तथा नेमाराम ग्राम पंचायत चवाडिया में सरपंच थे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त तथ्यों के विरोध स्वरूप कोई कथन नहीं किये। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 48(3) किसी पंचायती राज संस्था का कोई भी सदस्य पंचायती राज संस्था की किसी बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी भी प्रश्न की चर्चा में मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं लेगा, यदि वह ऐसा प्रश्न है, जिसमें जनता पर उसके सामान्य लागूकरण के अलावा उसका कोई भी धनीय हित हो और जब ऐसा प्रश्न विचार के लिए आये, तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा तथा नियम 48(4) के अनुसार यदि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के बारे में बैठक में उपस्थित किसी भी व्यक्ति का यह विश्वास हो कि चर्चा के अधीन के किसी भी मामले में उसका कोई भी ऐसा धनीय हित है और यदि उस प्रभाव का कोई प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वह बैठक में ऐसी चर्चा के दौरान अध्यक्षता नहीं करेगा या उसमें मतदान नहीं करेगा या भाग नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

लेगा। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RLR 2004(1) 237 Manoj kumar vs state of raj & ors. अनुसार Constitution of India, Art. 14-Raj. Panchayat (General) Rules, 1961, R.266-Plots in abadi land were allotted by the Gram panchayat to Up-Sarpanch and his close relatives including appellant (son of Up-Sarpanch) by private negotiations and not by recourse to auction-Held, action of Panchayat was arbitrary and denial of equality-Contention of appellant that there cannot be challenge to patta after 10 years, held, not acceptable since it is a case of gross violation of the rules. इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) 136 Sampat lal Sethia vs state of Rajasthan & Ors. अनुसार प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों को भूमि आंवटित की–सुसंगत समय पर वह उपसरपंच था–कलेक्टर ने निगरानी स्वीकार की एवं आवंटन निरस्त किया–पुराने कब्जे का सबूत नहीं–प्रार्थी का युक्तियुक्त दावा नहीं–नियम 266 के उल्लंघन में आवंटन किया–पंचायत ने अधिकारिता का अवैध रूप से प्रयोग किया–कलेक्टर ने अवैधता को सही किया–आदेश उचित एवं न्यायसंगत है एवं पुष्टि की। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पंचायत की बैठक में यदि किसी प्रश्न पर कोई भी पंच धन सम्बन्धी हित रखता हो, वह उस बैठक में भाग नहीं लेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार किया जाता है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि सम्पूर्ण मिसल पूर्व से लिखी हुई थी, जिसमें जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित जानकारी बाद में अंकित की गयी है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145(3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/– रुपये जमा होने के पश्चात् नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इन प्रकरणों में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान साइक्लोस्टाईल में दर्ज है, साथ ही पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसका सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाहो के केवल हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। साथ ही उक्त नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत चवाड़िया द्वारा संकल्प संख्या 4 दिनांक 07.02.2017 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 57 दिनांक 16.03.2017 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति एवं ग्राम पंचायत का अभिलेख, ग्राम पंचायत चवाड़िया को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)